गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 170वीं बैठक दिनांक 19.12.2023 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 170वीं बैठक दिनांक 19.12.2023 को प्रातः 10:30 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रो0 आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 पी.के. बाजपेयी	सदस्य
3.	प्रो0 प्रवीण कुमार मिश्रा	सदस्य
4.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	सदस्य
5.	प्रो0 अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
6.	प्रो0 एम.एन. त्रिपाठी	सदस्य
7.	प्रो0 शरद चन्द्र श्रीवास्तव	सदस्य
8.	प्रो0 सीमा राय	सदस्य
9.	प्रो0 राजेन्द्र मेहता	सदस्य
10.	प्रो0 सी.एस. वझलवार	सदस्य
11.	प्रो0 ब्रजेश तिवारी	सदस्य
12.	प्रो0 एस.सी. तिवारी	सदस्य
13.	प्रो0 एम.के. सिंह	सदस्य
14.	डॉ0 बबीता माझी	सदस्य
15.	डॉ0 पायल बनर्जी	सदस्य
16.	डॉ0 एस. श्वेता	सदस्य
17.	प्रो0 व्ही.एस. राठौड़	विशेष आमंत्रित सदस्य
18.	प्रो0 मनीष श्रीवास्तव, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। कुलपति महोदय ने बैठंक कार्यवाही प्रारंभ के पूर्व अपने प्रारंभिक उद्‌बोधन में विचारों की शुद्धता एवं गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता के बारे में उल्लेख करते हुए एक दूसरे का सहयोग करने तथा विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को आपस में मिल–जुल कर आपसी सहयोग से कार्य करने हेतु प्रेरित किया तत्पश्चात् निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र.01 **विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 169वीं बैठक दिनांक 11.12.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।**

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 169वीं बैठक दिनांक 11.12.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 02 **विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 169वीं बैठक दिनांक 11.12.2023 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की 169वीं बैठक दिनांक 11.12.2023 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की एवं कृत कार्यवाही की पुष्टि की।

Mcell~I\SC\..\SC 19-12-2023 19/12/2023

19/12/23

विषय क्र. 03. **गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और मेथारथ विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।**

निर्णय :— विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और मेथारथ विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप का अनुमोदन किया जाय एवं समझौता किये जाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही किया जाय।

विषय क्र. 04. **अध्ययन मण्डल रसायन विज्ञान विभाग की बैठक दिनांक 23.11.2023 द्वारा अनुशंसित बी.एससी. प्रथम सेमेस्टर की पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार।**

निर्णय :— विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अध्ययन मण्डल रसायन विज्ञान विभाग की बैठक दिनांक 23.11.2023 द्वारा अनुशंसित बी.एससी. प्रथम सेमेस्टर की पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना प्रभावी अध्यादेशों के अनुरूप हो।

विषय क्र. 05. **AIU Central Zone Vice-Chancellor Meet हेतु प्रस्तावित बजट के संबंध में विचार।**

निर्णय :— विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि AIU Central Zone Vice-Chancellor Meet हेतु प्रस्तावित बजट का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित बजट में वृद्धि किया जा सकता है।

विषय क्र. 06. **इंटरजनरेशनल लीविंग होम (केयर सेंटर ऑफ एल्डरली एवं बच्चे) की स्थापना हेतु प्रस्ताव रूपये 68.64 करोड़ का स्वीकृति हेतु पत्र हाउसिंग एवं अर्बन अफेयर्स मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषण के संबंध में विचार।**

निर्णय :— विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं एवं पूर्व के प्रस्ताव की मूल भावना को दृष्टिगत रखते हुए संशोधित प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में पुनः प्रेषित किया जाय तथा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव एवं उद्देश्य को दृढ़ता एवं प्रभावी माध्यम से मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरणों पर विचार

अ.अ.वि.क्र.1 बैठक के दौरान गुरू घासीदास विश्वविद्यालय का एक नवीन कैम्पस छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर शहर में स्थापित किये जाने पर विचार किया गया तथा इस संबंध में केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 एवं उक्त अधिनियम के अधीन निर्मित परिनियम के प्रावधानों को भी उद्धृत किया गया है।

विचारोपरान्त स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि रायपुर छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालय का कैम्पस स्थापित किये जाने संबंधी प्रस्ताव प्रारूपित किया जाय एवं आवश्यक कार्यवाही निम्नानुसार बिन्दुओं पर सम्पन्न की जाय–

1. केन्दीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के सुसंगत धाराओं जहां क्षेत्राधिकार का उल्लेख है में संशोधन कराये जाने के प्रस्ताव शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जाय।

19/12/2023

19/12/23

2. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार छत्तीसगढ़ राज्य से बढ़ाकर पूरे देश में क्षेत्राधिकार या कैम्पस स्थापित किये जा सकने संबंधी प्रावधान बनाये जाने प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।

3. रायपुर छत्तीसगढ़ में नवीन कैम्पस स्थापना हेतु राज्य सरकार को 500 एकड़ जमीन एवं रूपये 1000 करोड़ की धनराशि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय हेतु स्वीकृत किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य सरकार छत्तीसगढ़ शासन को प्रेषित किया जाय।

4. उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्रारूपित करने एवं आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु समिति गठित की जाय एवं समिति के सदस्य नामित किये जाने हेतु कुलपति महोदय अधिकृत रहेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

19/12/2023 — 19/12/2023

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव — **कुलपति/अध्यक्ष**